[1989] 4 उम० नि० प० 924

कोठान्द्रन स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

28 मार्च, 1989

मुख्य न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक, न्यायमूर्ति ई० एस० वेंकटरामय्या, रंगनाथ मिश्र, एम० एन० वेंकटचलय्या और एन० डी० ओझा

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57)— धारा 2(ञ) और 3— 'रुग्ण कपड़ा उपक्रम'—चूंकि संबंधित उपक्रम का रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन प्रबंध ग्रहण किया गया है और उसे 1974 के अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 96 में दर्शित किया गया है अतः संबंधित उपक्रम धारा 2(ञ) के अर्थान्तर्गत एक 'रुग्ण कपड़ा उपक्रम' है और उसे 1974 का अधिनियम लागू होगा।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57)— धारा 1, सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 31-ख तथा नवीं अनुसूची—अधिनियम की विधिमान्यता—चूंकि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को संविधान के उन्तालीसवें संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है अतः उसे अनुच्छेद 31-ख का संरक्षण प्राप्त होगा और उसकी शक्तिमत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती और वह विधिमान्य है।

याचियों ने रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की शक्तिमत्ता को चुनौती दी है और प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत मिल याचियों को उसी दशा में वापस दिलाने के लिए, जब उसका आरंभ में प्रबंध ग्रहण किया गया था, निदेश देने के लिए भी प्रार्थना की गई है। रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 तारीख 1-4-1974 से लागू हो गया और याची सं० 1 का नाम इस अध्यादेश की अनुसूची में मद सं० 96 के रूप में दिया गया है। इस अध्यादेश को 1974 के राष्ट्रीयकरण अधिनियम सं० 57 द्वारा

सम्यक् रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह निर्विवाद है कि याची सं० 1 का प्रबंध रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन ग्रहण कर लिया गया था और इसलिए याची सं० 1 'रुग्ण कपड़ा उपक्रम' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में मद सं० 96 के सामने याची की मिल का नाम दिया गया है। यह एक विधायी संकल्प (निर्णय) है कि याची सं० 1 इस अधिनियम की धारा 2(ञ) में यथा उपबंधित 'रुग्ण कपड़ा उपक्रम' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। याचियों ने संसद् के विरुद्ध किसी असद्भाव का कोई अभिकथन नहीं किया है और यह सही है। इस प्रक्रम पर इस बात पर ध्यान देना सुसंगत होगा कि 1974 के केंद्रीय अधिनियम 57 को संविधान के 39वें संशोधन द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में रखा गया है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 31-ख में उपबंधित संरक्षण के अंतर्गत आता है। (पैरा 3, 4, 5)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1986] (1986) 4 एस० सी० सी० 368 :
पानीपत वूलन एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; 5

[1986] [1986] 4 उम० नि० प० 1049=(1986) 4 एस० सी० सी० 222 :
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; 5

[1981] [1981] 4 उम० नि० प० 543=[1981] 2 एस० सी० आर० 1 :
वामन राव बनाम भारत संघ. 5

आरंभिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 1977 की रिट याचिका सं० 162.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका।

याची की ओर से श्री जितेन्द्र शर्मा

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री टी० वी० एस० एन० चारी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने दिया।

न्या० मिश्र—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह आवेदन दो याचियों द्वारा किया गया है जिनमें से याची सं० 1 एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरा उसका निदेशक। याचियों के रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का.57) की शक्तिमत्ता को चुनौती दी है और प्रत्यर्थियों को मिल याचियों को उसी दशा में वापस दिलाने के लिए, जैसी वह 31-10-1971 को थी जब उसका आरंभ में प्रबंध ग्रहण किया गया था, निदेश देने के लिए भी प्रार्थना की गई है।

2. याचियों ने यह अभिकथन किया है कि स्पिनिंग मिल पूर्व में श्री एस० आर०

नरसिंहचारी और तीन अन्य व्यक्तियों की थी। द्वितीय याची के पति महालिंगम् चेट्टियार ने 1965 में उक्त मिल खरीद ली। तथापि, वह इस स्पिनिंग मिल के कामकाज से भली-भांति परिचित नहीं थे और शीघ्र ही उन्होंने यह पाया कि मिल का कामकाज संतोषजनक नहीं है और यह महसूस किया कि उन्होंने एक अक्षम आस्ति अर्जित की है। दिसंबर, 1967 में महालिंगम् ने 3-1-1968 से मिल बंद किए जाने का नोटिस जारी किया किंतु वास्तव में तारीख 22 दिसंबर, 1967 के एक पश्चात्वर्ती नोटिस द्वारा यह मिल तुरंत बंद कर दी गई। याचियों के अनुसार यह मिल जनवरी, 1968 में 'कपड़ा उपक्रम' नहीं रह गई थी और कर्मकारों ने मदुरई के श्रम न्यायालय में अनेक दावा याचिकाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों पर जोर दिया, उन्होंने मिल पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि इस परिसर में महालिंगम् के प्रवेश करने पर भी बाधा पहुंचाई। एक प्रक्रम पर उक्त अवधि के दौरान महालिंगम् ने मशीनरी को बदलने के पश्चात् मिल पुनः प्रारंभ करने की आशा से भारत सरकार से 10 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन किया किंतु वह आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अतः यह स्थापन बंद कर दिया गया और याचियों के अनुसार कपड़ा उपक्रम 1969 तक पूरी तरह गायब हो गया और उक्त अधिनियम उसे लागू नहीं होता। पुनः 1974 का अधिनियम संविधान के अधिकारातीत है।

3. रूग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का 9) 31-10-1972 से प्रवृत्त हुआ। इस अध्यादेश की प्रथम अनुसूची की मद 41 में याची सं० 1 का ऐसे कपड़ा उपक्रम के रूप में उल्लेख किया गया है जिसका प्रबंध ग्रहण कर लिया गया था और उक्त अध्यादेश की धारा 4(1) के उपबंधों के अनुसार उसका कब्जा प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा ले लिया गया। इस अध्यादेश के स्थान पर 1972 का अधिनियम 72 रखा गया जिसे 23-12-1972 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई किंतु जिसके संबंध में यह समझा गया कि वह 31-10-1972 से प्रवृत्त है। याचियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल करते हुए इस अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दी है किंतु रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का 12) तारीख 1-4-1974 से लागू हो गया और याची सं० 1 का नाम इस अध्यादेश की अनुसूची में मद सं० 96 के रूप में दिया गया है। अतः लंबित रिट याचिका निष्फल हो गई और याचियों ने 1974 के अध्यादेश की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए नई रिट याचिका फाइल की। इस अध्यादेश को 1974 के राष्ट्रीयकरण अधिनियम सं० 57 द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आपात स्थिति की उद्घोषणा की गई थी और रिट याचिका को न्यायालय में पुनः समावेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए दिसंबर, 1976 में वापिस लेने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार अब प्रस्तुत आवेदन फाइल किया गया है।

4. धारा 2(ञ) में 'रूग्ण कपड़ा उपक्रम' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

"'रूग्ण कपड़ा-उपक्रम' से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसा कपड़ा-उपक्रम अभिप्रत है जिसका प्रबंध, नियत दिन के पूर्व, यथास्थिति, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया है,

या रुग्ण कपड़ा-उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है ।"

यह निर्विवाद है कि याची सं० 1 का प्रबंध 1972 के अधिनियम के अधीन ग्रहण कर लिया गया था और इसलिए याची सं०-1 इस परिभाषा के अंतर्गत आता है ।

5. धारा 3 में इस प्रकार उपबंध किया गया है—

"3(1) नियत दिन को प्रत्येक रुग्ण कपड़ा-उपक्रम और ऐसे रुग्ण कपड़ा-उपक्रम के संबंध में स्वामी के अधिकार, हक और हित, केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें पूर्ण रूप से निहित हो जाएंगे ।

(2) प्रत्येक रुग्ण कपड़ा-उपक्रम, जो उपधारा (1) के आधार पर केंद्रीय सरकार में निहित हो जाता है, उसके इस प्रकार निहित हो जाने के ठीक पश्चात्, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अंतरित हो जाएगा और उसमें निहित हो जाएगा ।"

इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में मद सं० 96 के सामने याची की मिल का नाम दिया गया है । यह एक विधायी संकल्प (निर्णय) है कि याची सं० 1 इस अधिनियम की धारा 2(ञ) में यथा उपबंधित 'रुग्ण कपड़ा उपक्रम' की परिभाषा के अंतर्गत आता है । याचियों ने संसद् के विरुद्ध किसी असद्भाव का कोई अभिकथन नहीं किया है और हमारे मतानुसार यह सही है । इस प्रक्रम पर इस बात पर ध्यान देना सुसंगत होगा कि 1974 के केंद्रीय अधिनियम 57 को संविधान के 39वें संशोधन द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में रखा गया है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 31-ख में उपबंधित संरक्षण के अंतर्गत आता है । **मिनर्वा मिल्स लि० और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] के मामले में इस अधिनियम की शक्तिमत्ता को चुनौती दी गई थी । न्यायालय ने नवीं अनुसूची में इस अधिनियम को सम्मिलित किए जाने के प्रभाव पर **वामन राव** बनाम **भारत संघ**[2] के विनिश्चयाधार के प्रति निर्देश करते हुए विचार किया था और उसकी शक्तिमत्ता की पुष्टि की थी । न्यायालय ने ऐसा ही दृष्टिकोण **पानीपत वूलन एंड जनरल मिल्स कंपनी लि० और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[3] में भी अपनाया था ।

6. अतः याचियों की ओर से दी गई इन दोनों दलीलों में कोई बल नहीं है और इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है । हम पक्षकारों को कार्यवाहियों में अपना-अपना खर्चा वहन करने का निदेश देते हैं ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

प्रमोद

---

[1] [1986] 4 उम० नि० प० 1049=(1986) 4 एस० सी० सी० 222.

[2] [1981] 4 उम० नि० प० 543=[1981] 2 एस० सी० आर० 1.

[3] (1986) 4 एस० सी० सी० 368.